भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294290
ई-मेल / E-mail: palash.shankar@gov.in , वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फा.क्र.सीप्ज़-सेज़/श्रम-14015/1/2023 दिनांक: 16/5/2023

परिपत्र संख्या./श्रम/ 11 /2023-2024

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, वार्षिक रिपोर्ट/रिटर्न प्रस्तुत करना।

जैसा कि आप जानते हैं कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना प्रत्येक नियोक्ता के लिए अनिवार्य है। तदनुसार, 31 जुलाई, 2015 को विशेष आर्थिक क्षेत्र की सभी इकाइयों को आंतरिक शिकायत समिति बनाने और 30 दिनों के भीतर सीप्ज़-सेज़ के विकास आयुक्त को सूचित करने का निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, नियोक्ता को वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करनी होगी। और इस संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता शिकायत समिति धारा 21 के तहत निम्नलिखित विवरण तैयार करेगी:-

a) वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।
b) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या।
c) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या।
d) यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
e) नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति।

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट सीप्ज़ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सीपीएस चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई.

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294290
ई-मेल / E-mail: palash.shankar@gov.in , वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

File No.SEEPZ-SEZ/LAB-14015/1/2023 **Date: 16/05/2023**

Circular No./LAB/ 11 /2023-2024

Sub.: Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Submission of Annual Report/Return.

As you are aware that as per Section 4 of the above Act, it is obligatory on the part of every Employer to constitute Internal Complaint Committee. Accordingly, on 31st July 2015 all the Units in the Special Economic Zone had been instructed to form the Internal Complaint Committee and inform the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ within 30 days.

Further, as per Section 22 of the above said Act, the employer shall have to include information in **Annual Report**. And in this connection as per the provisions of Rule 14 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 employers complaints committee shall prepare under Section 21, with the following details:-

a) Number of complaints of Sexual harassment received in the year,
b) Number of complaints disposed off during the year.
c) Number of case pending for more than ninety days.
d) Number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;
e) Nature of action taken by the employer or District Officer.

The above annual Report for the year ending 31st March 2023 should be submitted to the SEEPZ Authority.

This issues with the approval of Development Commissioner.

16.05.23

(CPS Chauhan)
Joint Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ.